न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

प्रकरण संख्याः- 283/2002 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2002/00002), पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. कन्नी पुत्र मंगल जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग -मृतक

1/1. गिर्राज सिंह पुत्र स्व. कन्नी
1/2. अमर सिंह पुत्र स्व. कन्नी } जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील डीग

1/3. किरनदेई उर्फ किन्ना पुत्री स्व. कन्नी पत्नी कुमरचन्द जाति जाटव हाल नि0 कांमा

2. बाबू पुत्र परभाती जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग -मृतक

2/1. शांति पत्नी स्व0 बाबू
2/2. वीरी सिंह पुत्र स्व. बाबू } जातियान जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग
2/3. मुकेश पुत्र स्व. बाबू

-वादीगण

बनाम

1. छिद्दी पुत्र कुन्दन जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील डीग

1/1. लीला पुत्र स्व. छिद्दी
1/2. सुन्दर पुत्र स्व. छिद्दी } जातियान जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग

1/3. विद्या पुत्री स्व. छिद्दी पत्नी नत्थी जाति जाटव नि0 ग्राम कुलवाना तहसील डीग

1/4. माया पुत्री स्व. श्री छिद्दी पत्नी रजन जाति जाटव नि0 ग्राम कुलवाना तहसील कांमा

2. विश्राम पुत्र कुन्दन जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील डीग

2/1. सोनदेई उर्फ अनारदेई पत्नी स्व. विश्राम
2/2. विजय सिंह पुत्र स्व. विश्राम } जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील डीग

2/3. ममता पुत्री स्व. विश्राम पत्नी रादेश जाति जाटव नि0 भडोकर तहसील छाता(मथुरा)उ.प्र.

2/4. पप्पी पुत्री स्व. विश्राम नाबा0 व विलायत व रिफाकत माता सोनदेई उर्फ अनारदेई माता खुद पत्नी विश्राम जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग

2/5. सावो पुत्री स्व. विश्राम पत्नी राजन जाति जाटव नि0 पल्ला तहसील कांमा

2/5/1. महावीर आयु 12 साल पुत्र राजन जाति जाटव नि0 नाबा0 जरिये संरक्षक राजन पुत्र भदई जाति जाटव नि0 ग्राम पल्ला तहसील कांमा

3. गुलाव पुत्र सुम्मेरी जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील डीग

4. तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

5. सुनीता पत्नी विजय जाति जाटव नि0 ग्राम बहज तहसील व जिला डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 व 188,91
आर.टी.एक्ट,

<u>निर्णय</u> दिनांकः 23.05.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2146 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा साविक जिनके नवीन खसरा नम्बरान 1495/0.13, 1496/0.12, 1499/0.13, 1500/0.32, किता-4 रकबा 70 ऐअर वाके ग्राम बहज तहसील डीग में स्थित है। गत खसरा नम्बर 2146 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा है जिस पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है तथा इस वक्त भी उक्त नम्वरान पर वादीगण का ही कब्जा व काश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। परन्तु बन्दोवस्त हाल में वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खसरा नम्बर 2146 के नवीन खसरा नम्बरान 1495/0.13, 1496/0.12, 1499/0.13, 1500/0.32 किता-4 रकबा 70 ऐअर के बनाये गये है जिनकी कच्ची परची भी सैटिलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के नाम जारी की गई थी किन्तु बाद में नामालुम क्यों खसरा नम्बरान 1496/0.12, 1499/0.13, 1500/0.32 किता-3 रकबा 57 ऐअर का इन्द्राज वादीगण के नाम किया जाकर नम्बर 1495 को गलत तरीके से खिलाफ मौका खिलाफ नक्शा मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 2143 मिन 21 से दर्शाते हुए उस पर इन्द्राज काश्त गलत तरीके पर खिलाफ मौका व कब्जा प्रति0 के नाम राजस्व रिकार्डस में दर्ज किया जा रहा है जिनका कोई भी सम्बन्ध नम्बर हाल 1495/0.13 से नहीं है ना उनका कोई कब्जा काश्त ही किसी प्रकार का नम्बर मजकूर पर है। आराजी मुत0 हाल खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज प्रथम के हि0 1/8 पर प्रति0 संख्या 1/1 लगायत 1/4 लीला, सुन्दर, विद्या, माया वारिसान मृतक प्रति0 संख्या 1 छिद्दी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में प्रति0 संख्या 1 स्व0 छिद्दी के नाम उक्त आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 1495/0.13 पर खिलाफ कब्जा व मौका व विरूद्ध कानून हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर विरासतन गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए प्रति0 संख्या 1/1 लगायत 1/4 लीला, सुन्दर, विद्या व माया ने दौराने दावा आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज प्रथम से उक्त आराजी मुत0 पर हि0 1/8 पर अपने नाम चले आ रहे गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी मुत0 के हि0 1/8 का बयनामा दिनांक 23.07.2008 को सुनीता पत्नी विजय जाति जाटव नि0 बहज तहसील डीग के पक्ष में पंजीवद्ध करा दिया है और यह बयनामा दिनांक 23.07.2008 दौराने दावा किये जाने के कारण लिस्पेन्डेन्सी ऑफ सूट होने के कारण धारा 52 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत विधि विरूद्व नाकाबिले पाबंदी वादीगण है व शून्य प्रभावी है जिसे वादीगण शून्य घोषित करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग के हि0 1/8 की बावत प्रति0 संख्या 1/124 लगायत 1/4 लीला, सुन्दर, विद्या, माया द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर दौराने दावा प्रति0 संख्या 5 सुनीता के पक्ष में पंजीबद्व कराये गये बयनामा तारीखी 23.07.2008 को नल एण्ड वॉईड घोषित किये जाने एवं बयनामा दिनांक 23.07.2008 को शून्य घोषित किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रति0 पावंद फरमाया जावे कि वे आराजी मुत0 में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित। दिनांक 17.09.98 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं 24.04.2000को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के द्वारा जवाव दावा पेश किया गया। दिनांक 25.09.2000 को वकील वादी वादी संख्या 1 कन्नी के फॉत हो जाने एवं प्रतिवादी संख्या 2 विश्राम के फॉत हो जाने पर प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 17.10.2000 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 31.12.2002को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 को 500/-रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 10.03.2004 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3,4,9 व आदेश 01 नियम 10 जा.दी. को 300/-रू.कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। दिनांक 06.04.2004 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। दिनांक 16.07.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 छिद्दी के फॉत हो जाने पर वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश किया जो दिनांक 25.08.2005को स्वीकार किया गया। दिनांक 04.01.2006 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 26.06.2006 को प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/5 की ओर से श्री धर्मवीर सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 05.04.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 कके वकील ने प्रस्तुत जवाव को ही पढे जाने की प्रार्थना किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वारिसान का जबाव बन्द किया गया।

दिनांक 11.08.2010 को निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

-वादीगण

2. आया वादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है?

-प्रतिवादी

3. दादरसी?

दिनांक 14.12.16 को वकील वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, 01 नियम 10 जा.दी.स्वीकार किया गया। दिनांक 30.05.2017 को आदेश 22 नियम 3 स्वीकार किया गया। दिनांक 26.07.2017 को वकील वादी ने संशोधित दावा एवं संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 15.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 3 ने असल वादीगण के साथ राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। दिनांक 31.03.2021 को वकील वादी ने गिर्राज सिंह का शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 10.10.2022 को प्रविादी संख्या 2/1, 2/2,2/3,2/4,2/5 व 5 की ओर से श्री हरीकृष्ण शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02.05.2024 को वकील प्रतिवादी ने जबाव दावा पेश किया। दिनांक 10.07.2024 को पीडब्ल्यू-2 जयप्रकाश पुत्र बंगाली व पीडब्ल्यू-3 ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मण शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 20.08.2024 को साक्ष्य वादी बन्द की गई। दिनांक 28.10.2024 को साक्ष्य प्रति0 विजय सिंह,सुनील के शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 17.12.2024 को आदेश 8 नियम 1 एवं 7 नियम 14 जा.दी. पेश किया। दिनांक 15.1.25 को पीडब्ल्यू-2 अमर सिंह तथा पीडब्ल्यू-3 जयप्रकाश के बयान पंजीबद्व किये गये।

दिनांक 10.02.2025 को डीब्ल्यू-1 में विजय सिह पुत्र विश्राम व डीब्ल्यू-2 में सुनीता पत्नी विजय सिंह के बयान पंजीबद्व किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी बन्दी की गई। दिनांक 10.03.2025 को बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी ने बहस में कथन किया कि साविक खसरा नम्बर 2146 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा हमारी खातेदारी का रकबा है इससे नये खसरा नम्बर बने है। खसरा नम्बरान 1495/0.13, 1496/0.12,1499/0.13, 1500/0.32, इनकी कच्ची,पक्की पर्ची भू-प्रबंध विभाग ने हमारे नाम करदी है जिसके खसरा नम्बरान 1496,1499,1500 तो हमारे नाम आ गई है। केवल एक खसरा नम्बर रकबा 0.13 खिलाफ नक्शा,मौका प्रतिवादीगण के नाम कर दिया है। इसे साविक खसरा नम्बर 2143 से बनना दर्शाते हुए प्रतिवादीगण के नाम कर दिया है। जिसमें एक 1/8 गलत प्रविष्टि की गई है उसके सही रिकार्ड मैने पेश किये है। इसमें दौराने दावा राजीनामा भी पेश हो चुका है। छिद्दी को छोडकर उसकी ओर से कोई जबाव नहीं है। इन्होंने दरख्तास्त लगाई थी वो भी खारिज हो गई। दौराने दावा छिद्दी के वारिसान ने विक्रय कर दिया। दौराने दावा कोई अन्तरण होता है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के तहत वाध्यकारी है। बयनामा Null and Void होता है। इसलिए मैने खसरा नम्बर 1495 का स्वत्व घोषणा का दावा पेश किया है। बयनामा को Null and Void कराने के लिए इनकी खरीदी हुई जमीन है। जब सुनीता की ही जमीन नहीं रही तो क्रेता को कैसे हो सकती है। मुझे खसरा नम्बर 1495 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। केवल एक ही खसरा नम्बर का विवाद है जिसमें राजीनामा भी पेश हो चुका है।

वकील प्रतिवादी ने 2/1 लगायत 2/5 व 5 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 5,1/8 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है जिसे उसने दिनांक 23.07.2008 को जरिये बयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 से खरीद किया है। प्रतिवादी संख्या 5 बोनाफाईड पर्चेजर है। प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/4 को शेष आराजी पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3,1/4 हिस्से पर व प्रतिवादीगण संख्या 2/4,1/4 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 1495/0.13 के किसी भी हिस्सा पर वादी का ना तो कोई कब्जा है और ना ही उन्हें कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त होते है। आराजी मुत0 प्रारम्भ से ही मृतक विश्राम की खातेदारी काश्तकारी की रही है। वादीगण का वाद मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वादी के वादपत्र,प्रतिवादीगण के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू-1 गिर्राज सिंह, पीडब्ल्यू-2 अमर सिंह,पीडब्ल्यू-3 ईश्वर सिंह,गवाह प्रतिवादी डीडब्ल्यू-1 विजय सिंह,डीडब्ल्यू-2सुनीता,डीब्ल्यू-3 जयप्रकाश के बयान करवाये गये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य राजीनामा दिनांक 15.01.2018 जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 के मध्य हुआ है।

प्रदर्श-1,खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2042 खसरा नम्बर 2946 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा कन्नी पुत्र मंगल 1/2 हि. बावू पुत्र परभाती 1/2 हि0 कॉम जाटव ने सम्बत 2039 में बाजरा की फसल काश्त की है। 2040 में चना व 2041 में सरसों बोई है।

प्रदर्श-2, नकल नक्शा किश्तवार मौजा सम्वत 1982 खसरा नम्बर 2946,

प्रदर्श-4, नकल नक्शा अक्स मॉजा बहज सम्वत 2033 खसरा नम्बर 1495,1496,1499,1500

प्रदर्श-6, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041,

हाल खसरा नम्बर	रकबा	गत खसरा नम्बर	रकबा
1495	0.13	2943 2944	1वीघा 3 विस्वा
1496	0.12	2946	
1499	0.13	2946	
1500	0.32	2946	

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-7,खसरा गिरदावरी सम्बत 2042 से 2046,खसरा नम्बर 1495 सम्बत 2042 फसल बाजरा अंकित नोट इ. नम्बर 20 व 22 से विसराम पुत्र कुन्दन जाति जाटव सा.देह वाहिस्सा बरा0 1/4 हि0 खातेदार इ.नम्बर 29 व 143 से छिद्वी व विश्राम पि0 कुन्दन जाति जाटव सा.देह हि0 बरा0 1/4 वाकी बदस्तूर दर्ज है।

खसरा नम्बर 1496 कन्नी पुत्र मंगल हि0 1/2 बाबू पुत्र परभाती 1/2 कॉम जाटव सा.देह खातेदार फसल में 2042 में बाजरा दर्ज है।

खसरा नम्बर 1499 कन्नी वगै0 वशरह खसरा नम्बर 1496 फसल बाजरा टिप्पकी में विश्राम खसरा नम्बर 1461 छिद्वी विसराम 1461,

खसरा नम्बर 1500 में फसल काश्त बाजरा वशरह सदर दर्ज है।

प्रदर्श-पी-8,भू-प्रबंध विभाग पर्चा नोटिस

प्रदर्श-पी-3 शजरा किश्तवार तरमीम मसावी मॉजा बहज तहसील डीग रियासत भरतपुर सम्बत 1982,

प्रदर्श-पी-5 प्रमाणित नकल बयनामा दिनांक 23.07.2008 जिसमें लीला,सुन्दर पिस0 छिद्वी,विद्या,माया पुत्रियां छिद्वी जाति जाटव द्वारा खसरा नम्बरान 1471/0.22, 1472/0.06, 1473/0.24, 1493/0.14,1494/0.10, 1495/0.13,1498/0.13, किता-8 रकबा 1.15 हैक्टे0 मं 1/8 हिस्सा, 50,000/-रू0 में सुनीता पत्नी विजय जाति जाटव निवासी बहज को विक्रय किया है।

प्रदर्श-पी-9, जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 ग्राम बहज खसरा नम्बर 1471/0.22, 1472/0.06, 1473/0.24, 1493/0.14,1494/0.10, 1495/0.13,1498/0.13, जिसमें सुनीता 1/8 हिस्से की खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-पी-10, जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 ग्राम बहज खसरा नम्बर 1496/0.12,1494/0.13, 9213/1985 रकबा 0.10,

प्रदर्श-पी-11 जमावन्दी सम्बत 2076-2079 हाल खसरा नम्बर 1500/0.32, 9211/1984 रकबा 0.16

प्रतिवादी ने अपनी लिखित साक्ष्य में

Ex.1A(1) मूल बयनामा दिनांक 23.07.2008 जो लीला,सुन्दर पिस0 छिद्वी ,विद्या,माया पुत्रियां छिद्वी जातियान जाटव निवासी बहज द्वारा सुनीता पत्नी विजय सिंह के पक्ष में किया गया है।

Ex.A(2) मूल बयनामा दिनांक 19.03.88, 1471/0.22,1472/0.06, 1473/0.24,1443/0.14, 1494/0.10, 1495/0.13, 1497/0.13, 1498/0.13, कुल किता-8 कुल रकबा 115 ऐअर का लौहरे उम्र 65 साल पुत्र श्री वरमन जाति माली द्वारा अपना सालिम हिस्सा 1/8 गुलाव सिंह पुत्र श्री सुम्मेरी जाति जाटव को विक्रय किया है।

Ex.A(3)मूल बयनामा दिनांक 29.05.86 हाल खसरा नम्बर 1471/0.22,1472/0.06,1473/0.24, 1493/0.14, 1494/0.10, 1475/0.13, 1497/0.13, 1498/0.13, किता-8 रकबा 115 में श्यौदान पुत्र श्री वन्दर कॉम हरीजन निवासी ने अपना सालिम हिस्सा गुलाव सिंह पुत्र श्री सुम्मेरी जाति जाटव को विक्रय किया है।

Ex.A(4)मूल बयनामा दिनांक 04.09.93,आ.ख.नम्बर 1471/0.22,1472/0.06,1473/0.24, 1493/0.14, 1494/0.10, 1495/0.13, 1496/0.13, 1498/0.13 किता-8 रकबा 1.15 हैक्टे0 में रम्भा किशन सिंह पुत्रगण वन्दर जाति हरीजन ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा गुलाव सिंह पुत्र सुम्मेरी को विक्रय किया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

Ex.A(5)मूल बयनामा दिनांक 26.04.86 हाल खसरा नम्बर 1471/0.22, 1472/0.06, 1473/0.24, 1493/0.14, 1494/0.10, 1495/0.13,1497/0.13,1498/0.13,कुल किता-8 कुल रकबा 115 ऐअर सम्पत पुत्र रामलाल जाटव ने गुलाव सिंह पुत्र सुम्मेरी जाति जाटव को विक्रय किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई:-

<u>तनकी संख्या:-1,</u> आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है? इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने स्वत्व घोषणा के दावे में निम्न अनुतोष चाहे है। (अ)वादीगण गत आराजी खसरा नम्बर 2146 के नवीन खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज के काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण के हाल रिकार्ड में नामों को कलमजन किया जावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण की प्रबिष्टियां राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे।

(अ,अ)जरिये डिक्री खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज के हिस्सा 1/2 की बावत प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 लीला,सुन्दर,विद्या,माया द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 5 सुनीता के पक्ष में पंजीबद्व कराये गये बयनामा तारीखी 23.07.2008 को नल-एण्ड-वोईड घोषित किया जावे।

(अ,ब)जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पावंद फरमाया जावे। खसरा नम्बर 1495/0.13 वाके ग्राम बहज मजाहमत मदाखलत ना करें।

प्रदर्श-9,जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 ग्राम बहज के हाल खसरा नम्बर 1495/0.13 प्रतिवादी संख्या 2/1 हिस्सा 3/32, प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 2/4 हिस्सा 3/32, प्रतिवादी संख्या 2/3 हिस्सा 3/32, प्रतिवादी संख्या 2/2 हिस्सा 3/32, प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/8 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श-10, जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 ग्राम बहज के हाल खसरा नम्बर 1496/0.12,1499/0.13, में वादी संख्या 1/2 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 1/1 हिस्सा 1/4, द्रोपा पत्नी गिर्राज सिंह हि0 1/4, लक्ष्मी पत्नी अमर सिंह हिस्सा 1/4 के खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-11, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 ग्राम बहज के हाल खसरा नम्बर 1500 में वादी संख्या 1/2 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 1/1 हिस्सा 1/4, पातरा पत्नी अतरा हिस्सा 1/2 के खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-पी-6, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 2146मिन से हाल खसरा नम्बर 1496/0.12, 1499/0.13,1500/0.32 बनना प्रदर्शित है।

हाल खसरा नम्बर 1495/0.13 साविक खसरा नम्बर 2143मिन, 2144 रकबा 1वीघा 3 विस्वा से बना है। जबकि वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 1495/0.13 को साविक खसरा नम्बर 2146मिन से बनना अपने वादपत्र में वर्णित किया है।

प्रदर्श-1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2042 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा कन्नी पुत्र मंगल हिस्सा 1/2 बाबू पुत्र परभाती हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है। फसल बाजरा काश्त है।

प्रदर्श-2,नकल नक्शा किश्तवार मॉजा सम्बत 1982 खसरा नम्बर 2946,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-4, नकल नक्शा अक्स मॉजा बहज सम्बत 2033, खसरा नम्बर 1495,1496,1499,1500 प्रदर्श-7 खसरा गिरदावरी सम्बत 2042 से 2046,खसरा नम्बर 1495,1496,1499,1500 प्रदर्श पी-8 भू-प्रबंध विभाग पर्चा नोटिस प्रदर्श-पी-3 सजरा किश्तवार तरमीम मसावी सम्बत 1982,

प्रदर्श-पी-5 प्रमाणित नकल बयनामा दिनांक 23.07.2008 वादीगण के स्वत्व घोषणा के दावे में कोई स्वत्व सिद्व नहीं करते है।

वादीगण ने साविक खसरा नम्बर 2146 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा से हाल खसरा नम्बरान 1495/0.13, 1496/0.12, 1499/0.13, 1500/0.32 किता-4 रकबा 70 ऐअर बताते हुए दावा प्रस्तुत किया है। जबकि प्रदर्श-6 मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 2146 मिन से हाल खसरा नम्बरान 1495/0.13, 1496/0.12, 1499/0.13, 1500/0.32 बनना प्रदर्शित किया है। मूल विवाद वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नम्बर 1495/0.13 ग्राम बहज को लेकर है। जिसको मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 में साविक खसरा नम्बर 2143मिन, 2144 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा से बनना प्रदर्शित किया है। वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 1495/0.13 को साविक खसरा नम्बर 2146 रकबा 4 वीघा 11 विस्वा से बनना रिकार्ड के विपरीत लिखा है। वादीगण के साविक खसरा नम्बर 2146मिन से बने मिलान क्षेत्रफल अनुसार एवं प्रदर्श-10 व 11 जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 के अनुसार वादीगण के नाम पूर्व से ही है। वादीगण का दावा रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत है।

वादीगण ने जमाबन्दी प्रदर्श-9,10,11 के अनुसार द्रोपा पत्नी गिर्राज सिंह, लक्ष्मी पत्नी अमर सिंह,पातरा पत्नी अतरा को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श-2,4,7,8,3,5 दावा वादी स्वत्व सिद्व करने में कोई मदद नहीं करते है। साक्ष्य के अभाव में तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 15.01.2018 विधि विरूद्व होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। खसरा नम्बर 1495/0.13 के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य वादीगण ने अपने हक में प्रस्तुत नहीं कर सके है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-2,</u> आया वादीगण को विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध में किसी किस्म का नहीं है। तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-3</u>, दादरसी?, उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करें।

दावा वादीगण स्वत्व घोषणा साक्ष्य के अभाव में एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88-89,91 व 188 आर.टी.एक्ट दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने तथा साक्ष्य के अभाव में एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner